दिनांक–01.04.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. शवदाह–गृह/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि किये गये मृतक का निर्धारित अवधि के अन्दर निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र :–

विभागीय पत्रांक–5046 दिनांक–25.03.2026 के आलोक में जिलों को हस्तगत कराये गए मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों को विभाग द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त दोनो जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने से संबंधित प्रपत्र अविलंब विभाग से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें।

मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित प्रपत्र को जिलों द्वारा पंचायतों के वार्ड सदस्यों/पंच/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को हस्तगत कराये गए सूचना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 4190 वार्ड सदस्यों/पंच/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि

कृ0पृ0उ0.....

कल तक सभी वार्ड सदस्यों/पंच/वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रपत्र–2 एवं 8 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

दिनांक–01.04.2026 से ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवस्थित शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

निर्गत किये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है। इससे संबंधित सभी जानकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 10 अप्रैल 2026 तक अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

पटना, सुपौल, दरभंगा, रोहतास, गया जी, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, समस्तीपुर, नवादा एवं मुजफ्फरपुर जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

साथ ही सभी DDC एवं DPRO को यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक–01.04.2025 के पश्चात आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भौतिक रूप में ना भेजकर NIC द्वारा विकसित UC Module के माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) Departmental Audit Progress Report (FY : 2024-25) :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, भोजपुर, कटिहार, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियां, सहरसा एवं शेखपुरा जिलों द्वारा पंचायत समिति का तथा अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियां एवं सहरसा जिलों द्वारा ग्राम पंचायत का एवं किशनगंज तथा लखीसराय जिलों द्वारा ग्राम कचहरी का शत–प्रतिशत ऑडिट कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि जिन जिलों का ऑडिट कार्य पूर्ण हो चुका है, वे योजनावार समेकित करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें तथा जिन जिलों द्वारा ऑडिट कार्य 50 प्रतिशत से कम है, उन जिलों को 10 दिनों के अन्दर ऑडिट कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें।

लगातार.....

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, समस्तीपुर, सारण, भागलपुर, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, वैशाली एवं गोपालगंज जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 2819 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2318 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 103 में बैंक, 2310 में RTPS केन्द्र, 877 में Post Office, 375 में NOFN, 718 में पुस्तकालय एवं 13 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 723 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 478 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति तथा 300 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

कतिपय यह पाया गया है कि तकनाकी सहायक द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को जब LAEO के मुख्य अभियंता के पास तकनाकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो उसमे कुछ कमियों को उजागर कर वापस कर दिया जाता है जिससे पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। सभी DPRO को निदेश दिया जाता है कि संबंधित तकनीकी सहायक को मुख्य अभियंता के पास भेजकर त्रुटियों का निराकरण हाथों–हाथ कराना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर एवं बेगूसराय जिलों में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। जिन जिलों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन 50% से 75% तक हो चुका है उन जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अंदर शत–प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

कई जिलों में कार्यरत एजेंसियों द्वारा बताया गया है कि सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु जिलो द्वारा स्थल का चयन नहीं किया गया है जिनमें से भागलपुर, जमुई, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नवादा, जहानाबाद, वैशाली, गोपालगंज, पटना, शेखपुरा, भोजपुर, बांका एवं दरभंगा प्रमुख है। इन सभी जिलों के DPRO से पूछने पर बताया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा गलत सूचना दी गयी है। उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि यदि एजेंसी द्वारा दी गयी सूचना गलत है तो इसे लिखित रूप में विभाग को प्रतिवेदित करें ताकि विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(ख). सोलर स्ट्रीट लाईट योजनान्तर्गत व्यय/निकासी की गयी राशि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार के सभी 38 जिलो को कुल आवंटित ₹400 करोड़ की राशि के विरूद्ध ₹332.55 करोड़ की राशि ही व्यय की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर अवशेष राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 0%, मधेपुरा में 42% एवं बेगूसराय में 58% ही Material Supply की गयी है। इन सभी जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र Material Supply हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग). सभी चरणों को मिलाकर मधेपुरा, भागलपुर, सहरसा, जमुई, सारण एवं पूर्वी चंपारण जिलों में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष सोलर स्ट्रीट लाईट को चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी को हस्तांतरित करते हुए 15 दिनों के अंदर अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के

लगातार.....

उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए। साथ ही समय–समय पर field inspection कराकर CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का भी मिलान करा लिया जाए ताकि Data manipulation पर रोक लगाई जा सके।

(घ). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत सर्वप्रथम सोलर स्ट्रीट लाईट का भुगतान सुनिश्चित करेंगें। सोलर स्ट्रीट लाईट के भुगतान के उपरांत ही अन्य योजनाओं का भुगतान करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	34%
02	पंचायत समिति	63%
03	ग्राम पंचायत	69%

नालन्दा, बक्सर, नवादा एवं मधुबनी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

लगातार.....

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	36.66%
02	पंचायत समिति	68.52%
03	ग्राम पंचायत	72.72%

नवादा, दरभंगा, पटना एवं मधुबनी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	00	00
02	Arwal	02	00
03	Aurangabad	13	01
04	Banka	06	01
05	Begusarai	06	00
06	Bhagalpur	05	01
07	Bhojpur	02	00
08	Buxar	05	00
09	Darbhanga	12	01
10	East Champaran	19	00
11	Gaya	04	00
12	Gopalganj	08	01
13	Jamui	04	00
14	Jehanabad	02	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	05	00
17	Khagaria	09	00
18	Kishanganj	03	00
19	Lakhisarai	00	00
20	Madhepura	01	00
21	Madhubani	12	01
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	13	03
24	Nalanda	03	00
25	Nawada	06	00
26	Patna	10	00
27	Purnia	01	01
28	Rohtas	13	00
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	16	05

लगातार.....

31	Saran	11	03
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	08	01
35	Siwan	04	00
36	Supaul	01	00
37	Vaishali	12	01
38	West Champaran	02	01
Total		**223**	**21**

निदेश दिया गया कि सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

08/04/26

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/5709/पं०रा० पटना, दिनांक 10/4/2026
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
9.4.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/5709/पं०रा० पटना, दिनांक 10/4/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
9.4.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/5709/पं०रा० पटना, दिनांक 10/4/2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्भय
9.4.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव